राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(67)एमई/ग्रुप–1/2009 जयपुर, दिनांक : 01 JUL 2020

आदेश

फोरेन्सिक मेडिसिन विशिष्ठता में वरिष्ठ प्रदर्शक से सहायक आचार्य के पद पर वर्ष 2009–10 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24ए के उप नियम–8 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24.11.2012 को आयोजित की गई थी। डॉ0 केदार प्रसाद, वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन के विरूद्ध तत्समय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 201/08 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 13(1)(डी) एवं 13(2) में दण्डनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग के आदेश क्रमांक प. 2(2)(42)कार्मिक/क–3/शिकायत/08 दिनांक 17.09.2008 के द्वारा डॉ. प्रसाद को राज्य सेवा से निलम्बित किया गया था। जिसके कारण डॉ. प्रसाद के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा बन्द लिफाफे में रखी गयी गई थी।

कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग के आदेश क्रमांक प.2(2)(42)का./क–3/शि./2008 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा डॉ0 केदार प्रसाद के निलम्बन काल को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल माने जाने एवं इन्हें निलम्बन काल में दिये गये निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई बकाया वेतन भत्ते नही दिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है। उक्त आदेश के द्वारा डॉ. प्रसाद को माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम–3, जयपुर के निर्णय दिनांक 05.04.2019 के द्वारा सन्देह का लाभ देते हुए इन पर आरोपित आरोपों से वरी किया गया है तथा माननीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील पेश नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है। फलस्वरूप डॉ0 केदार प्रसाद के विरूद्ध वर्तमान में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। इस कारण इनकी पदोन्नति के संबंध में अनुशंषा का सीलवन्द लिफाफा नियमानुसार खोला गया। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा डॉ0 प्रसाद को वर्ष 2009–10 की रिक्ति के विरूद्ध सहायक आचार्य, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर पदोन्नत करने की अनुशंषा की गई थी।

अतः विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर डॉ0 केदार प्रसाद तत्कालीन वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन को वर्ष 2009–10 की रिक्ति के विरूद्ध सहायक आचार्य, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

पदोन्नति पर डॉ. प्रसाद का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में सह आचार्य, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद विरूद्ध तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

आज्ञा से,
(सुनील शर्मा) 1/7/2020
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक मेडिकल कॉलेज।
8. रक्षित पत्रावली।

1.7.20
(रमेश चन्द्र आर्य)
शासन उप सचिव

Scanned with CamScanner